

कार्यालय जिला कलक्टर करौली

क्रमांक/राजस्व/2013/

दिनांक:- जुलाई, 2013

सम्परिवर्तन आदेश

मदर टेरेसा शिक्षा सेवा एवं विकास समिति हिण्डौनसिटी जरिए अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी वर्धमान नगर हिण्डौनसिटी जिला करौली के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिक भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा सम्परिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार का नाम व पिता के नाम सहित पूरा पता	मदर टेरेसा शिक्षा सेवा एवं विकास समिति हिण्डौनसिटी जरिए अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी वर्धमान नगर हिण्डौनसिटी जिला करौली।
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनु० जनजाति का सदस्य है	नहीं
3.	सम्परिवर्तन भूमि का ब्योरा	
क	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम गददीपुरा ग्राम पंचायत लहचौडा तहसील हिण्डौन
ख	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ख०न० 150 कुल रकवा 0.44 है०
ग	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये सम्परिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	ख०न० 150 रकवा 0.44 है० में से 4213 वर्गमीटर
	टिप्पणी:- अकृषिक प्रयोजन के लिये सम्परिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति संलग्न है।	
4.	सम्परिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत प्रयोजनार्थ-शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5.	संदेय सम्परिवर्तन प्रमारों की दर	• 7/- रूपये प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या और तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम	बैक चान. 42 दिनांक 08.04.2012 से 10403/- पी०डी०ए० एवं चान. 43 दिनांक 08.04.2012 से 10403/- व बैक चालान न० 18 दिनांक 19.11.2012 से 8776/- मद 0029 भू-राजस्व में कुल राशि 29582/-
7.	चालान की संख्या और तारीख सहित जमा करायी गयी रकम	बैक चालान न० 18 दिनांक 19.11.2012 मद. 0029 भू-राजस्व में राशि 88746/-
8.	चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
9.	क्या आदेश विनियमितीकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	हाँ
10.	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हों	सा.नि.वि. की सड़क ओ.डी.आर रोड के मध्य से 15.00 मीटर छोड़कर ही निर्माण किया जावे। नक्शा संलग्न है।

11. उपर्युक्त सम्परिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये भूमि सम्परिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराई प्रीमियम धन राशि समग्र हो जायेगी।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये सम्परिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

- 54 -
जिला कलक्टर
करौली

क्रमांक/राजस्व/2013/4162-67

दिनांक- 16 जुलाई, 2013

1. उप जिला कलक्टर हिण्डौन।
2. तहसीलदार हिण्डौन को राजस्व रिकार्ड में आवश्यक प्रविष्टि हेतु।
3. जिला राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा।
4. सचिव, ग्राम पंचायत लहचौडा पंचायत समिति हिण्डौन को जरिये तहसीलदार हिण्डौन।
5. आवेदक मदर टेरेसा शिक्षा सेवा एवं विकास समिति हिण्डौनसिटी जरिए अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी वर्धमान नगर हिण्डौनसिटी जिला करौली
6. रक्षित पत्रवली।

जिला कलक्टर
करौली

